राका के लिए अल्लू अर्जुन की तैयारी हुई पूरी

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म 'राका' लगातार सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही खास उत्साह है और अब शूटिंग से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, 'राका' का मुंबई शेड्यूल पूरा हो चुका है. फिल्म की टीम ने मुंबई में निर्धारित शूटिंग पूरी कर ली है और अब प्रोजेक्ट अगले चरण की ओर बढ़ गया है.

अल्लू अर्जुन की पिछली फिल्मों की सफलता के बाद उनकी अगली फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं. यही वजह है कि 'राका' से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी फैंस का ध्यान खींच रही है. फिल्म के मेकर्स फिलहाल कहानी और किरदारों से जुड़ी जानकारी को फिलहाल सीमित रखते हुए उत्सुकता बनाए हुए हैं. ऐसे में शूटिंग शेड्यूल पूरा होने की खबर फिल्म की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है. मुंबई शेड्यूल के दौरान फिल्म के लिए कई अहम हिस्सों की शूटिंग की गई है. अब टीम आगे के काम पर ध्यान केंद्रित करेगी.

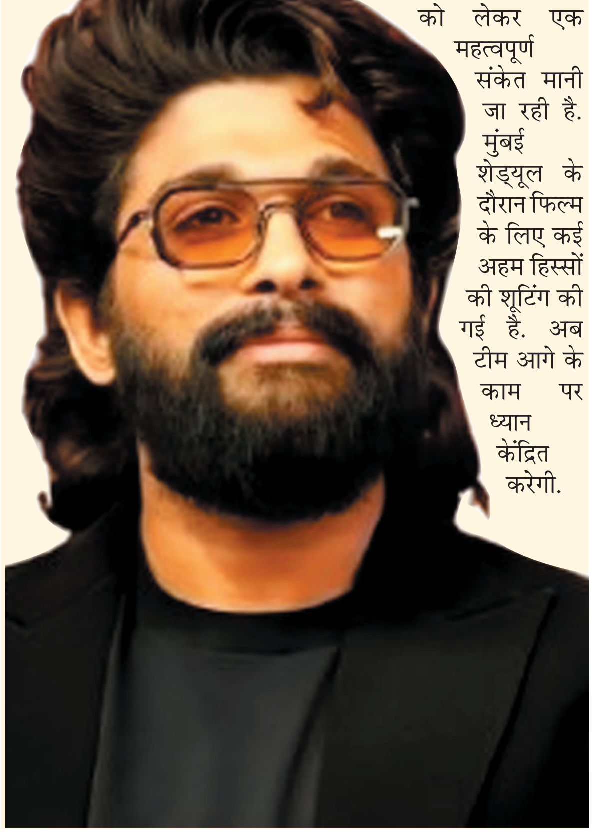

की एंड का 2 में कियारा आडवाणी की एंट्री

बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी फिल्मों के सीक्वल को लेकर खूब चर्चा है और इसी कड़ी में 'की एंड का' का नाम भी सामने आ रहा है. करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर की 2016 में आई इस फिल्म ने अपनी अलग कहानी और रिश्तों को देखने के नए नजरिए के कारण दर्शकों का ध्यान खींचा था. अब इसके सीक्वल की तैयारी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. खबरों के मुताबिक, 'की एंड का 2' में कियारा आडवाणी को मुख्य भूमिका के लिए अप्रोच किया गया है.

कियारा को फिल्म का कॉन्सेप्ट पसंद आया है और उन्होंने प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी भी जाहिर की है. हालांकि, अभी तक उनकी कास्टिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बातचीत किस मुकाम तक पहुंचती है और फिल्म में कियारा का किरदार कैसा होगा.

सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के पुरुष मुख्य किरदार को लेकर है. जानकारी के अनुसार, मेकर्स फिलहाल हीरो की तलाश कर रहे हैं. सही अभिनेता के चयन के बाद फिल्म की कास्टिंग को अंतिम रूप दिया जा सकता है. वहीं, मेकर्स की योजना इसी साल फिल्म की शूटिंग शुरू करने की तैयारी जा रही है. कियारा आडवाणी के लिए भी यह प्रोजेक्ट काफी दिलचस्प हो सकता है. 'टॉक्सिक' के बाद उनके नाम को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है और अब 'की एंड का' के सीक्वल से उनका जुड़ना दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा सकता है. हालांकि, फिल्म की कहानी, बाकी कलाकारों और शूटिंग शेड्यूल से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का अभी इंतजार है. अगर कियारा की एंट्री फाइनल होती है और मेकर्स एक मजबूत पुरुष कलाकार को उनके साथ जोड़ने में कामयाब रहते हैं.

कृति खरबंदा ने चिक्कू से बनाई अलग पहचान

देओल परिवार की चर्चित फ्रेंचाइजी 'यमला पगला दीवाना' की तीसरी फिल्म 'यमला पगला दीवाना फिर से' के रिलीज को आठ साल पूरे हो गए हैं. धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की मौजूदगी वाली इस फिल्म में कृति खरबंदा ने 'चिक्कू' का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई.

फिल्म में कृति का किरदार कॉमेडी, रोमांस और पारिवारिक मनोरंजन से भरी कहानी का अहम हिस्सा था. स्थापित फ्रेंचाइजी और देओल परिवार की मजबूत स्क्रीन मौजूदगी के बीच कृति ने सहज अभिनय और प्रभावी स्क्रीन प्रेजेंस से 'चिक्कू' को अलग रंग दिया. बॉबी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने पसंद किया. दोनों के बीच की हल्की-फुल्की नोकझोंक और रोमांटिक अंदाज ने फिल्म के मनोरंजक पक्ष को मजबूत किया. कृति ने हास्य दृश्यों के साथ-साथ भावनात्मक और रोमांटिक दृश्यों में भी अपनी सहजता बरकरार रखी. फिल्म के गीतों और मनोरंजक दृश्यों में भी कृति की जीवंत मौजूदगी देखने को मिली. उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म के माहौल के साथ अच्छा तालमेल बनाया

पेरिस में ऋषि कपूर को देख घबरा गए थे लोग

बॉलीवुड के शोमैन अंदाज वाले सितारों में ऋषि कपूर का नाम हमेशा खास रहा है. रोमांटिक फिल्मों से लेकर पारिवारिक कहानियों तक, उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाई. उनके निधन के बाद भी उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनसे जुड़े पुराने किस्से सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा में आते रहते हैं. ऐसा ही एक मजेदार किस्सा उनकी फिल्म 'बारूद' की शूटिंग से जुड़ा है. साल 1976 में रिलीज हुई 'बारूद' का निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती ने किया था. फिल्म में ऋषि कपूर के साथ रीना रॉय, शोमा आनंद, अशोक कुमार और अजीत जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म का एक गाना पेरिस में फिल्माया गया था.

ऋषि कपूर ने बाद में 'द कपिल शर्मा शो' में इस शूटिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि गाने की शूटिंग के दौरान वह शोमा आनंद के पीछे चल रहे थे और गाना गा रहे थे. उनके पीछे करीब 25 कदम की दूरी पर साउंड रिकॉर्डिस्ट भी मौजूद था. कैमरा और आवाज शुरू होते ही ऋषि कपूर अपने किरदार के मुताबिक गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगे. लेकिन पेरिस की सड़कों पर मौजूद स्थानीय लोगों के लिए यह पूरा दृश्य कुछ अलग ही था. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक आदमी किसी लड़की के पीछे चलते हुए इतनी जोर से क्यों गा रहा है.

ऑटो मोबाइल

वोल्वो ईएक्स 90 12 अक्टूबर को होगी लॉन्च

भारतीय लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में मुकाबला और तेज होने वाला है. स्वीडन की कार निर्माता कंपनी वोल्वो अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी ईएक्स90 को भारत में उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी 12 अक्टूबर 2026 को इस पूरी तरह बिजली से चलने वाली एसयूवी को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में पेश करेगी. वोल्वो ईएक्स90 की एंट्री के साथ कंपनी का लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो और मजबूत होगा.

वोल्वो ने ईएक्स90 को वैश्विक स्तर पर पहली बार वर्ष 2022 में प्रदर्शित किया था इसे कंपनी की सबसे प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर विकसित किया गया है. इसका डिजाइन आधुनिक और प्रीमियम रखा गया है, जबकि इसमें कई उन्नत तकनीकी सुविधाएं दिए जाने की उम्मीद है भारतीय बाजार में यह एसयूवी सीधे तौर पर लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन वर्ग में मुकाबला करेगी. वोल्वो के भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो में फिलहाल ईएक्स30 मौजूद है. ईएक्स90 कंपनी की दूसरी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी हालांकि, दोनों वाहनों के बीच आकार, कीमत और ग्राहक वर्ग के लिहाज से बड़ा अंतर रहेगा. ईएक्स90 को ज्यादा प्रीमियम और बड़े आकार वाली एसयूवी के रूप में पेश किया जाएगा कंपनी की पहचान उसकी सुरक्षा तकनीक के लिए भी रही है.

ऐसे में ईएक्स90 में भी सुरक्षा से जुड़ी उन्नत तकनीकों पर खास जोर रहने की उम्मीद है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं, प्रीमियम केबिन और आरामदायक सफर इसे खास बना सकते हैं फिलहाल कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए ईएक्स90 की कीमत और सभी तकनीकी विवरणों का खुलासा नहीं किया है.

नई थार में दिखेगा रॉक्स का असर

सेफ्टी भी होगी मजबूत

महिंद्रा थार भारतीय बाजार की सबसे चर्चित लाइफस्टाइल एसयूवी में से एक है और अब कंपनी इसके तीन-द्वार वाले मॉडल को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है. थार फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और हालिया तस्वीरों ने इसके डिजाइन में होने वाले बदलावों की जानकारी और स्पष्ट हुई है. नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिल सकता है. टेस्टिंग मॉडल में नई पांच-स्लॉट ग्रिल और नए पांच-स्पोक अलॉय व्हील नजर आए हैं.

थार फेसलिफ्ट के डिजाइन में महिंद्रा की बड़ी एसयूवी थार रॉक्स की झलक भी देखने को मिल सकती है. इससे पहले सामने आए टेस्ट मॉडल में रॉक्स से प्रेरित ग्रिल और एलईडी हेडलैंप डिजाइन की संभावना दिखाई दी थी. हालांकि, हालिया टेस्टिंग मॉडल में अलग तरह की ग्रिल नजर आई है.

टीवीएस आईक्यूब को चुनौती देने आया एथर कोनार्क

इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में एक नया मुकाबला शुरू हो गया है. एथर एनर्जी ने अपने नए कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 99,999 रुपये है, जिससे यह सीधे तौर पर टीवीएस आईक्यूब के किफायती 2.3 किलोवाट-घंटा मॉडल को चुनौती देता है. दोनों स्कूटर अपने-अपने वर्ग में ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. कीमत की बात करें तो एथर कोनार्क शुरुआती मॉडल में ज्यादा किफायती नजर आता है. इसके शुरुआती संस्करण में करीब 100 किलोमीटर की प्रमाणित दूरी तय करने की क्षमता का दावा किया गया है.

दूसरी ओर, टीवीएस आईक्यूब के 2.3 किलोवाट-घंटा संस्करण में करीब 114 किलोमीटर तक की प्रमाणित दूरी का दावा किया गया है. यानी दूरी तय करने की क्षमता के मामले में शुरुआती मॉडल में आईक्यूब को बढ़त मिलती है. अधिकतम गति के मामले में दोनों स्कूटर लगभग समान स्तर पर हैं. टीवीएस आईक्यूब के 2.3 किलोवाट-घंटा मॉडल की अधिकतम गति 68 किलोमीटर प्रति घंटा है.

4 सितंबर को लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 440

रॉयल एनफील्ड भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी अब एडवेंचर बाइक सेगमेंट में हिमालयन 440 को उतारने जा रही है. नई बाइक को 4 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा.

कंपनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट साझा करके लॉन्च की तारीख की पुष्टि की है. इसके साथ ही बाइक को लेकर चल रही चर्चाओं को भी एक दिशा मिल गई है. नई हिमालयन 440 की सबसे खास बात इसकी बाजार में पोजिशनिंग होगी. कंपनी इसे हिमालयन 450 के ठीक नीचे रखने की तैयारी में है. इसका सीधा मतलब यह है कि रॉयल एनफील्ड अपने एडवेंचर बाइक पोर्टफोलियो में ऐसा मॉडल जोड़ना चाहती है, जो हिमालयन 450 की तुलना में ज्यादा सुलभ कीमत पर ग्राहकों को आकर्षित कर सके. इससे उन बाइकर्स के लिए विकल्प बढ़ सकता है, जो लंबी दूरी की यात्राओं और हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए एडवेंचर मोटरसाइकिल तलाश रहे हैं.

हिमालयन परिवार की बात करें तो कंपनी पहले ही हिमालयन 411 को भारतीय बाजार से विदाई दे चुकी है.

यंग इंडिया

यूको बैंक में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती

सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है यूको बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (विशेषज्ञ अधिकारी) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से बैंक में विभिन्न विशेषज्ञ पदों को भरा जाएगा योग्य उम्मीदवार आधिकारिक प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं.

यूको बैंक एसओ भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र का प्रिंट 21 सितंबर 2026 तक डाउनलोड कर सकेंगे.

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है. उम्मीदवार के पास स्नातक, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा सूचना तकनीक, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग, एमटेक और एमएससी जैसे विषयों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी.

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. यूको बैंक एसओ पदों पर चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इन पदों पर वेतन करीब 1 लाख रुपये तक पहुंच सकता है हालांकि, अंतिम वेतन पद और नियमों के अनुसार निर्धारित होगा. बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले भर्ती अधिसूचना में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी के साथ फॉर्म जमा करें.

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) ('उक्त अधिनियम') के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, तो उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधकदारों को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और चूंकि- इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 30 अगस्त 2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ ऋणकर्ता/गारंटर(ओं)/गिरवीदार(ओं) द्वारा IIFL-HFL द्वारा ऋणकर्ता/गारंटर(ओं) को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न देय ऋणों के संबंध में, अंतर्निहित अचल संपत्ति सहित, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं, जो आर्सिल आर्सिल ट्रस्ट -2026C - 007 ('आर्सिल') के ट्रस्टी के रूप में सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए कार्य कर रही है. अतः, उक्त आवंटन के मद्देनजर, आर्सिल अब आईआईएफएल-एचएफएल के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और आर्सिल उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है. ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, अधोहस्ताक्षरी, आर्सिल का अधिकृत अधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदार/सह-देनदार का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया राशि रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री भूपेंद्रकुमार श्रीमती माधुरी जोशी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10537776)	प्लॉट नंबर X-03 का उत्तरी भाग, महाराणा प्रताप नगर (मध्य प्रदेश नगर), कनिपुरा रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456006, भारत. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल: 545.70, 545.50, 436.00	रुपए 1425297/- (रु. चौदह लाख पच्चीस हजार दो सौ सन्तानवे मात्र)	05/08/2025	27/08/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आर्सिल उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा. अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आर्सिल द्वारा उपर्युक्त राशि के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे।
ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि ऋण छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं. उपर्युक्त अचल संपत्ति.

जगह: इंदौर
दिनांक: 1.9.2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन नंबर- U65999MH2002PLC134884 वेबसाइट: www.arcil.co.in
रजिस्टर्ड ऑफिस: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. **टेली: +91 2266581300.**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	55112538	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	19-अगस्त-2026	रु. 2,87,767.68/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. अयूब अमजद 2. इंतियाज बी

संपत्ति का पता: प्लॉट नंबर 19 का पूरा टुकड़ा, कुल एरिया 1500 वर्गफीट (लंबाई: 50 फीट और चौड़ाई: 30 फीट), लैंड सर्वे नंबर 82/1, P.H.NO. 26 पर है, गांव: जाकुखेड़ी, ग्राम पंचायत: जाकुखेड़ी, तहसील: महू, जिला: इंदौर, मध्य प्रदेश-453661, और इसकी सीमाएं: पूरब: मेन रोड, पश्चिम: नौशाद की ज़मीन, उत्तर: जब्बार का प्लॉट, दक्षिण: मुख्त्यार पटेल का घर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	140815052	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	19-अगस्त-2026	रु. 14,54,988.49/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. महेश अशोक 2. अशोक मोतीराम 3. जयंती बाई अशोक

संपत्ति का पता: प्लॉट नंबर 47 (पी) का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप क्षेत्र 198 वर्ग मीटर है, (निर्मित क्षेत्र भूतल 198 वर्ग मीटर जिसमें घर निर्मित है), खसरा नंबर 118 (बी) पर स्थित, गाँव: सरलाय बुजुर्ग, पीएच नंबर 48 (बलखड़िया), ग्राम पंचायत: सिमा, तहसील: भीकनगांव, जिला: खरगौन, मध्य प्रदेश-451335, और इसकी सीमाएं:- पूर्व: प्लॉट नंबर 48 (पी), पश्चिम: प्लॉट नंबर 46 (पी), उत्तर: सड़क, दक्षिण: प्लॉट नंबर 68 (पी) और 67 (पी)

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	152654334	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	13-अगस्त-2026	रु. 5,50,357.72/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. ललित कुमार 2. काजल कुशवाहा

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 1110 वर्ग फुट या 103.15 वर्ग मीटर, गांव में स्थित: जसवाड़ी, ग्राम पंचायत: जसवाड़ी, पुराना पीएच नंबर 92, नया पीएच नंबर 68, तहसील और जिला: खंडवा, मध्य प्रदेश-450001, और इसकी सीमाएं:- पूर्व: श्यामलाल भीमा का घर, पश्चिम: आम सड़क, उत्तर: नारायणसिंह रुखडू सिंह का घर, दक्षिण: दयाराम दगडू का घर.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक: 1.9.2026 **(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और**
स्थान: मध्यप्रदेश **वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) ('उक्त अधिनियम') के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और जबकि इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 30-11-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, जो IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर को ऋण प्रदत्त सुविधाओं से उत्पन्न हुए हैं, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं, जो आर्सिल आर्सिल ट्रस्ट - 2026 - 015 के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है, सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए 2025. अतः, उक्त आवंटन के मद्देनजर, आर्सिल अब आईआईएफएल-एचएफएल के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और आर्सिल को ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अधिकारों और लाभों को लागू करने का अधिकार होगा, जिसमें ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.
ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, आर्सिल के अधिकृत अधिकारी, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर कब्जा कर लिया है, नीचे उल्लिखित तिथि से:-

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री सोनू सेन, श्री प्रभुदयाल, श्रीमती मालती देवी, आर एस हेयर सैलून (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10548008)	फ्लैट नं. 609, छठी मंजिल, ब्लॉक ए-02, गुलमर्ग परिसर 2 एलएचपी, तहसील और जिला इंदौर, पिन नं. 452001 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल: 323.00, 323.00	रुपये 608372/- (रु. छह लाख आठ हजार तीन सौ बहत्तर मात्र)	17/10/2025	29/08/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आर्सिल उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आर्सिल द्वारा उपर्युक्त राशि के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं. अचल संपत्ति.

स्थान: इन्दौर, दिनांक 1-9-2026 — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन क्रमांक-U65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वां माला, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पूर्व) मुंबई-400028, दूरभाष: +91 2266581300, वेबसाइट: www.arcil.com

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.
सर्किल ऑफिस पता: 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित. नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (उक्त उधारकर्ता(ओं)) को, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है. ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं.

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(लोन अकाउंट नंबर LNHEIND000030641 (पुराना) 50400000552380 (नया) LNHLIND000007857 (पुराना) 51200000756059 (नया) (इंदौर ब्रांच) स्वर्गीय दिलीप सोनी (कानूनी वारिसों के माध्यम से) (कर्जदार) पार्वती बाई, चिन्टू सोनी और अंकित सोनी (सह-कर्जदार)	21.8.2026 रु. 668571.99/- (1.8.2026 तक)	भूमि और भवन वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जो इस प्रकार है: उत्तरी भाग प्लॉट नंबर 258, माप 500 वर्ग फीट, अरिहंत नगर एक्सटेंशन, ग्राम जम्बुर्डी हाप्सी, तहसील हातोद, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001, संपत्ति की सीमाएं:- उत्तर - प्लॉट नंबर 259, दक्षिण - उक्त प्लॉट नंबर 258 का शेष भाग, पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - प्लॉट नंबर 275'.

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी. उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत पूर्वोक्त परिसंपत्तियों को सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा.

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 1/9/2026
एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए